राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुवालाल बनाम लालचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 909/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी	
07/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प श्योसिंहपुरा में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24/05/2017 पारित करते हुये तहसीलदार-जयपुर को ग्राम श्योसिंह पुरा, तहसील जयपुर में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 20, 137, 147, 149 कुल किता 4 कुल रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये उभयपक्षों की मौजूदगी में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विवादग्रस्त भूमि का विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये उभयपक्षों की मौजूदगी में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | कानूनन सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से उठाई गयी तकनीकी आपत्ति के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24/05/2017 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	